न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 365 / 2018 / 223 (00365 / 2018 / 223)

1. टीलसिंह पुत्र खंगारसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (मृतक) **जरिये वारिसानः—**
   1—श्रीमती बन्नी देवी पत्नी स्व0 टीलसिंह,
   2—श्रीमती चंचल पुत्री स्व0 टीलसिंह,
   3—श्रीमती दुर्गा पत्नी स्व0 रणवीर सिंह उर्फ रणजीतसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र खंगार सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र भूरा,
3. गणपतसिंह पुत्र भूरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3 / 1— श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि स्व0 गणपतसिंह,
   3 / 2— मनोहर पुत्र स्व0 गणपतसिंह,
   3 / 3— लोकेन्द्र पुत्र स्व0 गणपतसिंह,
   3 / 4— सपना पुत्री स्व0 गणपतसिंह,
4. संतोष सिंह पुत्र भूरा,
   समस्त जाति रावत, निवासी थूनीथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

6. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 टीलसिंह,
7. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रणवीरसिंह उर्फ रणजीतसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम थूनीथाक, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 19.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 151 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. रेस्पो0 संख्या 7 स्वंय उपस्थित ।
4. रेस्पो0 संख्या 6 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 26.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के पेश कर कथन किया कि मौजा थूनीथाक, तहसील ब्यावर में खाता संख्या 45 में कुल किता 26 कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है जिसमें वादी खातेदार है जिसकी जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 संलेग्न है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने तथा विधिक बंटवारा नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कमती–बत्ती को लेकर विवाद होते रहते है । इतना ही नहीं उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का विधिक बंटवारा नही होने के कारण वादी अपने हिस्से में आई आराजी की तरक्की व विकास नहीं कर पा रहा है । इस कारण उपरोक्त वादग्रस्त आराजियत में वादी के 1/4 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा की डिक्री पारित की जावे एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाकर राजस्व लगान भी अलग कराया जावे तथा बंटवारा अनुसार वादी को कब्जा संभलाया जाकर राजस्व रिकार्ड में बंटवारा अनुसार अमल दरामद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.6.2015 को वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । तत्पश्चात् तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 19.5.2016 को वाद में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.5.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के द्वारा वाद में अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर यह आदेश दिया कि अपीलाधीन भूमि का बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किया जावे परन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 19.2.2016 प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार, ब्यावर के पत्र कमांक 6104 दिनांक 31.12.2015 की पालना में पटवारी हल्का के द्वारा ही दिनांक 27.2.2016 को बिना मौके पर गये बिना जांच किये तथा अपीलांट को बिना नोटिस दिये बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट गलत रूप से तैयार की गई जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अन्य याचिकाओं के अंतर्गत पारित निर्णय के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार अधी0न्याया0 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को ही नियुक्त किया गया था परन्तु तहसीलदार, ब्यावर के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के संदर्भ में मौके पर ही नहीं गये । ऐसी अवस्था में बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई है विधि के प्रतिकूल है इस कारण अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री जो पारित की गई है वह निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.12.2015 के अनुसार यह आदेश पारित किया गया कि तहसीलदार ब्यावर को पुनः तहरीर जारी होकर विधिक रूप से पक्षकारान को सूचित कर मौके की स्थिति से अवगत करावाते हुए बंटवारा प्रस्ताव भिजवावे,

तत्पश्चात् आगामी दिनांक 18.1.2016 नियत की गई । रिपोर्ट तलब नहीं हुई इसके पश्चात् आगामी दिनांक 16.2.2016 तत्पश्चात् दिनांक 11.4.2016 एवं 10.5.2016 नियत की गई तद्पोरांत दिनांक 19.5.2016 को पक्षकारान को बिना सूचित किये वाद पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर दिनांक 19.5.2016 को ही अधी0न्याया0 के द्वारा पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट के संदर्भ में बिना सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 19.5.2016 को अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये था । विवादित भूमि के संदर्भ में अपील संख्या 304/2015 टीलसिंह बनाम नारायणसिंह व अन्य की अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के द्वारा दिनांक 19.8.2015 को आदेश पारित किये गये कि अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना जावे तथा साथ ही यह भी निर्देश दिये कि राजस्थान टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तथा नियम 19 का ई को मध्य नजर रखते हुए एवं मौके पर कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए निर्णय डिक्री पारित की जावे परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा नियम 19–ई की पालना ही नहीं की गई जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन भूमियों में जिसमें 1/4 हिस्सा के खातेदार अपीलांट एवं 1/4 हिस्सा के खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा के खातेदार रेस्पो0 संख्या 2 से 4 है । अपीलाधीन भूमियों के संदर्भ में सहखातेदारों के मध्य आज से करीब 48 वर्ष पूर्व ही मौखिक वाहमी बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारे के अनुसार अपीलांट के हिस्से मे बंटवारे में प्राप्त हुई भूमि पर गत 48 वर्षो से निरन्तर भारी सुधार विकास कर काश्त की जाती रही है । यहां तक खसरा नंबर 171 कि जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा की भूमि जो पूर्व में मौखिक बंटवारे में प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट के द्वारा भारी लागत लगाकर मेहनत कर बोरिंग खुदवाया गया, पाल्या लगवाया गया, करीब 500 बड़े पेड़ वफलदार नीम्बू, आंवला, पपीता, केले, आम आदि के पेड़ लगाये गये, बगीचा है, पक्का मकान बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन भी अपीलांट के नाम से स्थापित है एवं पानी का टेंक बना हुआ है । इस प्रकार खसरा नंबर 171 जिसका रकबा 15 बिस्वा भूमि कि जिसे पूर्ववत् बाहमी बंटवारे के अनुसार अपीलांट को अन्य भूमियों के साथ प्राप्त हुआ जिस पर भारी सुधार विकास कर काश्त की जाती रही है इसके पटवारी हल्का ने कब्जे के प्रतिकूल मौका रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । खसरा नंबर 171 जो कि रास्ते से लगती हुई 15 बिस्वा भूमि अपीलांट की चली आई है तथा खसरा नंबर 171 रकबा 15 बिस्वा भूमि जो कि अपीलांट की भूमि के पीछे दक्षिण दिशा की ओर रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि है जो कि अपील में वर्णितानुसार आज से करीब 48 वर्ष पूर्व बाहमी बटवारा के अनुसार कब्जा काश्त चला आया है तथा रेस्पो0 संख्या 1 का खसरा नंबर 171 रकबा 15 बिस्वा भूमि पर आवागमन का कदीमी समय से रास्ता जो कि पश्चिम दिशा से लगता हुआ उत्तर से दक्षिण रेस्पो0 संख्या 1 के खेत में आवागमन का रास्ता चला आया है । बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 26, 23, 22, 21, 329, 432, 424 ग्राम थूनीथाक तहसील ब्यावर का बंटवारा ही नही किया गया जबकि यह भूमियां भी संयुक्त आराजियात है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री में समस्त भूमियों का बंटवारा किये जाने का आदेश व प्राथमिक डिक्री पारित की है। इस कारण भी अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नहीं की गई है । बंटवारा प्रस्ताव के संदर्भ में मौके पर ना तो पटवारी हल्का आया एवं अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई बल्कि अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं उसकी गैर मौजूदगी में विवादित भूमि पर बिना आये दिनांक 27.2.2016 को बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिसमे यह दर्शाया गया कि दिनांक 27.2.2016 को प्रतिवादी टीलसिंह पुत्र खंगारसिंह की पत्नी, पुत्री व पौत्र की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना दर्शाया है जबकि दिनांक 27.2.2016 को पटवारी हल्का मौके पर ही नहीं आया था । अपीलांट की पुत्री न्यायिक कर्मचारी है जो अजमेर में अपनी ड्यूटी पर थी । इस प्रकार पटवारी हल्का ने रेस्पो0 संख्या 1 से सांठ–गांठ कर मिथ्या बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.5.2016 को निरस्त किया जावे तथा अधी0न्याया0 को यह निर्देश दिये जावे कि वे अपीलांट को सूचित कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपील में वर्णितानुसार नियमों का पालन कर पुनः बंटवारा के संदर्भ में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 4.12.2018 को मौके पर आकर अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई तथा खड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी तथा दिनांक 4.12.2018 को ही अपीलांट को यह बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 को पारित हो चुका है । इस प्रकार अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.12.2018 को हुई । अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नोटिस नहीं दिया । जानकारी होने पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 5.12.2018 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर संबंधित दस्तावेज एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 (6) पेज 158 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की आराजियात है। विवादित आराजियात का कभी भी पक्षकारान के मध्य विधिक बंटवारा नही हुआ है। अपीलांटस ने विवादित आराजियात का पूर्व में पक्षकारों के मध्य बाहमी बंटवारे होने का कथन किया है किया है किन्तु कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की थी किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट एकतरफा में तैयार किये जाने से अधी0न्याया0 उक्त मौका रिपोर्ट उचित नहीं मानकर पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार, ब्यावर को निर्देश दिये थे । अधी0न्याया0 के उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को कैम्प में रखकर दिनांक 19.5.2016 को दोनों पक्षों की समझाईश की जिस पर दोनों पक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर सहमत होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की है । तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादी टीलसिंह की पत्नि मौके पर उपस्थित थी । मौका रिपोर्ट कब्जे काश्त के अनुसार तैयार की गई है।

यदि अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश करने चाहिये थे । अधी0न्याया0 ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2007 पेज 438 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2005 पेज 132, आर0बी0जे0 2005 पेज 735 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0टी0 2016 पेज 1110 एवं आर0आर0डी0 2002 पेज 26 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है। हम न्यायहित मे अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसमें वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4/रेस्पो0 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है । अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारे के वाद में दिनांक 1.6.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने के निर्देश दिये है । उक्त निर्देशों की पालना में तहसीलदार, ब्यावर ने पत्र दिनांक 18.8.2015 के द्वारा पटवारी हल्का धोलादांता–द्वितीय द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 14.8.2015 अधी0न्याया0 को भिजवाई गई है । इसी दरमियान अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2015 के विरूद्ध अपील संख्या 304/2015 पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.8.2015 को निर्णय पारित कर अधी0न्याया0 को निर्देश दिये कि राजस्थान टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर अंतिम डिक्री पारित करे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी विजयसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर मौखिक आपत्ति की गई जिस पर अधी0न्याया0 ने न्यायहित में तहसीलदार, ब्यावर को पुनः तहरीर जारी कर विधिक रूप से पक्षकारान को सूचित कर मौके की स्थिति से अवगत करवाते हुए बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये । उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार, ब्यावर ने पत्र क्रमांक 1917 दिनांक 6.5.2016 के द्वारा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.2.2016 को तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव अधी0न्याया0 को प्रेषित किये गये । पटवारी हल्का न्यायालय हाजा एवं अधी0न्याया0 के निर्देशों की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी एवं प्रतिवादी को दिनांक 11.2.2016 को नोटिस जारी कर दिनांक 16.2.2016 को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया परन्तु प्रतिवादी टीलसिंह ने मौके पर उपस्थिति होने में असमर्थता जाहिर करने पर दिनांक 22.2.2016 को पुनः विधिक रूप से नोटिस जारी कर दिनांक 27.2.2016 को टीलसिंह पुत्र खंगारसिंह की पत्नि, पुत्री व पौत्र की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये है । उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि खसरा नंबर 171 का सड़क की तरफ से खड़ा बंटवारा किया गया है जिससे सड़क पर सभी को समान भूमि एवं रास्ता मिल सके । प्रतिवादी टीलसिंह/खंगारसिंह ने मकान, बाड़ा व बोरिंग

बना रखा है जो कुछ खसरा नंबर 171 व कुछ चारागाह भूमि पर बना हुआ है । अतः खसरा नंबर 171 का सड़क की तरफ से खड़ा बंटवारा करने पर मकान इत्यादि प्रभावित नहीं होगें । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि मकान, बाड़ा, बोरिंग वगैरह खसरा नंबर 171 के जिस भाग पर बने है वो भाग स्वंय टीलसिंह के हिस्से में रखे गये है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नंबर 21, 22, 23, 26, 424, 422 पर वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा नहीं होने से बंटवारा नहीं हो सकता है। इसलिये शामिल रखे गये है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 19.5.2016 को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का पक्षकारान के मध्य राजस्थान टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए दोनो पक्षों को सुनकर विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.5.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.5.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर